(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पर्यावरण विभाग

सी–विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली –110002

सं. फा0 8(86)/ईए/पर्या0/2008/ 23345-50 दिनांक 2012

अधिसूचना

जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ–साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के बचाव के लिये प्रयत्न करेगा ;

और जब कि दिल्ली सरकार ने पर्यावरण तथा स्थानीय परिवेश पर प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि प्लास्टिक की थैलियां लापरवाही से इधर–उधर फेंक दी जाती है और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

और जब कि यह पाया गया है कि प्लास्टिक की थैलियाँ गटरों , मल निकास प्रणाली तथा नालों में बाधा भी उत्पन्न करती हैं । इससे गंभीर पर्यावरणीय तथा जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं ।

और जब कि पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या एस औ 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का एक प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 2011 को सं0 फा. 8(86) ई.ए./पर्या0/2008/20485 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से साठ दिन के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनसाधारण से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और जब कि उक्त प्रारूप की अधिसूचना संबंधी जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर 1992 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की दिनांक 7 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या सं0 फा08(86) /ईए /पर्या./2008/9473 के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कृत्यों , की गई बातों या हटाए गए के सिवाय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करती है, अर्थात् :–

निदेश :–

1. किसी दुकानदार , विक्रेता , थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता , फेरीवालों या रेहडीवालों (अर्थात् जिसमें सभी प्रकार के हाथ से धकेलने वाले ठेले शामिल हैं जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खादय पदार्थ या अखादय सामान या सामग्री /वस्तु के भण्डारण या वितरण

के लिये किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा;

2. कोई भी व्यक्ति समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियाँ (जिसमें पॉली प्रोपलीन , व न बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियाँ शामिल हैं) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय या ढुलाई नहीं करेगा ।

3. कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक जिसमें पत्रिका और निमंत्रण पत्र और स्वागत – पत्र शामिल हैं, को बांधने या ढकने के लिये किसी प्रकार के प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग नहीं करेगा ।

अपवाद

इस अधिसूचना के अन्तर्गत जारी निदेश जैव चिकित्सीय कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन और संभाल) नियमावली ,1998 के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

व्याख्या :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्लास्टिक की थैलियों" का वही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन तथा संभाल) नियमावली, 2011 में परिभाषित है, जो निम्न रूप में उद्धृत किया जाता है:–

"प्लास्टिक की थैलियों" का अर्थ किसी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री से निर्मित, वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त लेकिन इसमें वे थैलियां शामिल नहीं है, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएं सीलबन्द की जाती है ।

प्राधिकृत अधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों के एतद् द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:–

1. सदस्य सचिव, , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) तथा सहायक पर्यावरण अभियंता तथा उच्च स्तर के अधिकारी ।
2. निदेशक (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा वैज्ञानिक और उच्च स्तर के अधिकारी ।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–मंडल मजिस्ट्रेट का अपने अधिकार क्षेत्र में ।
4. संबंधित स्थानीय निकायों अर्थात् नई दिल्ली नगर पालिका परिषद , दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के सहायक सफाई निरीक्षक, सामान्य लाइसेंसिंग निरीक्षक एवं दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य निरीक्षक तथा इन सभी से उच्च पदासीन संवर्गीय अधिकारी।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ।

6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उसके द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के चिकित्सा अधिकारी ।

7. श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम निरीक्षक तथा उच्च का अपने अधिकार क्षेत्र में ।

8. खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च का अपने अधिकार क्षेत्र में ।

मानिटरिंग :

सदस्य सचिव (डीपीसीसी) अपने निर्देशों का समस्त कियान्वयन तथा मानिटरिंग सुनिश्चित करेंगे । अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव (डीपीसीसी) तथा संबंधित क्षेत्र /अधिकार क्षेत्र वाले उप मंडलीय मजिस्ट्रेट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्राधिकृत है । ऐसी शक्तियाँ पहले अद्यतन संशोधित अधिसूचना सं. एस.ओ.349 (इ) दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्राप्त है ।

प्रवर्तन :

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन बाद लागू होगी तथा इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से इस सरकार की दिनांक 7.1.2009 की अधिसूचना सं0 फा. 08(86)/इए/पर्या0/08/9473 के अधीन दायर शिकायतें/ निपटाई गई तथा लम्बित शिकायतों की सीमा तक, इस अधिकमण से पहले किये गए कार्यों या लोप कार्यों को छोडकर, अधिकमित हो जाएंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार

(संजीव कुमार)
सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव)